Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding strict action to be taken against fraud committed by NBCF companies.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदया जी, गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आम तौर पर कंपनी एक्ट और दूसरे ऐसे रूल्स और रेग्युलेशन्स हैं, जिनसे संचालित होती हैं । लेकिन उनको रेग्युलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई एक्ट, 1934 के अनसुार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की है । आज ही एक प्रश्न के उत्तर में आरबीआई ने, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह इन कंपनियों के सुपरविज़न के साथ-साथ असेट्स की समीक्षा करे । उन्होंने आज ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पांच वर्ष से ऐसी कंपनियों की कोई समीक्षा नहीं की गई है । इन कमियों का लाभ उठाकर ऐसी कंपनियां छोटे-छोटे शहरों में अपनी शाखाएं खोलकर स्थानीय लोगों को नौकरियां और बड़े कमीशन का लालच देकर उनका पैसा जमा करा लेती हैं और इसके बाद वे भाग जाती हैं ।

ऐसी ही एक घटना मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुई है, जिसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली विधायक, जो कि इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनकी पांच कंपनियों ने हमारे लखीमपुर जिले के स्थानीय नवयुवकों को फंसाकर, वहां के लोगों का पैसा जमा कराया और फिर वे भाग गए हैं । लेकिन प्रक्रिया संबंधी कमियों के कारण वे लड़कें तो पकड़े जाते हैं, लेकिन इन कंपनियों और उनके मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि एनबीएफसी कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने व जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रखने तथा वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रक्रिया संबंधी सुधार, असेट्स का लगातार सुपरविज़न व समीक्षा तथा व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व

सेबी के अंतर्गत लाया जाए । ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों व उनके मालिकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के साथ ही साथ निवेशकों का पैसा लौटाया जाए ।...(व्यवधान)